



महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय , केरल, तिरुवनंतपुरम
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I), KERALA,
THIRUVANANTHAPURAM



सं.प्रशा.(ले प)/III/MACPS/Vol.XII

दिनांक: 27.02.2025

अनुभागीय आदेश सं. 367/SECTIONAL ORDER No. 367

श्रीमती रमणी एम, एमटीएस को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया है, जो निम्न विवरण के अनुसार दिनांक 24.02.2025 से प्रभावी होगा।

Financial upgradation under MACP Scheme for Central Government employees has been granted to **Smt.Remani M, MTS** as detailed below with effect from 24.02.2025.

वर्तमान स्तर Existing Level	नवीन स्तर New Level	पात्रता दिनांक Date of Eligibility	उन्नयन स्थिति Status of Upgradation
स्तर 3 Level 3	स्तर 4 Level 4	24.02.2025	तृतीय एमएसीपी 3 rd MACP

2. पदोन्नति दिए जाने पर वेतन निर्धारण का लाभ भी एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के समय दिया जाएगा। यदि वे एफआर 22(I)(क)(1) के तहत विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर लिखित रूप में विकल्प देना होगा।

The benefit of pay fixation on grant of promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under MACP Scheme. If she intends to exercise option under FR 22(I)(a)(1), she should give the option in writing within one month from the date of issue of this order.


3. योजना के तहत वित्तीय उन्नयन दिए जाने पर पदनाम, वर्गीकरण या उच्चतर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि, वित्तीय और कुछ अन्य लाभ जो कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन से जुड़े हैं जैसे कि एचबीए, सरकारी आवास का आवंटन आदि की अनुमति होगी।

On grant of financial upgradation under the Scheme, there shall be no change in designation, classification or higher status. However, financial and certain other benefits which are linked to the pay drawn by an employee such as HBA, allotment of Govt. accommodation shall be permitted.

4. एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन कर्मचारी के लिए पूरी तरह से व्यक्तिगत होगा और उसकी वरिष्ठता स्थिति से इसका कोई संबंध नहीं होगा। योजना के तहत वेतन निर्धारण के कारण वरिष्ठ की तुलना में कनिष्ठ को अधिक वेतन मिलने पर वेतन में कोई वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

Financial upgradation under MACP Scheme shall be purely personal to the employee and shall have no relevance to her seniority position. No stepping up of pay in the pay band or grade pay would be admissible with regard to junior getting more pay than the senior on account of pay fixation under the Scheme.

(महालेखाकार के दिनांक 06.08.2024 के आदेशानुसार)
(Vide orders dated 06.08.2024 of Accountant General)



वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / (प्रशासन)
Senior Audit Officer (Admn.)

प्रतिलिपि / Copy to:

1. अनु.आ.पुस्तिका / SO Book
2. श्रीमती रमणी एम , एम टी एस / Smt.Remani M, MTS
3. सभी समूह अधिकारी / All Group Officers
4. सभी शाखा कार्यालय / All Branch Offices
5. वरिष्ठ ले प. अ./ प्रशा.(ले प -II)/Sr.AO/Admn.(Au- II)
6. वरिष्ठ ले प. अ./ का.स्था.(बिल/रोकड़/हक.)- ले प -II/ Sr.AO/OE (Bills/Cash/Entt)- Au II
7. का.स्था.(बिल/रोकड़/हक.)- ले प II/OE (Bills/Cash/Entt) Au II
8. पीएओ / PAO I, II, III
9. गो. कक्ष/ हिन्दी कक्ष/ आई ए अनुभाग-ले प.-I/ ले प.-II/C.Cell/Hindi Cell/IA Section- Au-I/Au-II
10. सेवा संघ / Service Associations
11. सूचना पट्ट / Notice Board
12. व्यक्तिगत फ़ाइल / Personal File